संख्या: 22 /2025/281/छप्पन-2025-56-1002/4/2024

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2025

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में विभिन्न मदों के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-330/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/2024, दिनांक 21 जनवरी, 2025 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 407.30 लाख (रूपये चार करोड़ सात लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

मद का नाम	धनराशि (लाख रूपये में)
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय- 08-कार्यालय व्यय	1.00
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय- 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-42- अन्य व्यय	400.00
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.30
(रूपये चार करोड़ सात लाख तीस हजार मात्र)	407.30

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न मदों यथा 01 वेतन, 03 महंगाई भत्ता, 04 यात्रा व्यय, 06 अन्य भत्ते, 09 विद्युत व्यय, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा राजस्व लेखा शीर्षक ''3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण में उपलब्ध बचतों को सक्रंमित कर राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न मानक मदों यथा 08- कार्यालय व्यय में रू0 1.00 लाख, 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 2.00 लाख, 42- अन्य व्यय में रू0 400.00 लाख तथा 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 4.30 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 407.30 लाख इंगित मदों के नामे डाली जाएगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशो से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

4- बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

6- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

8- यह आदेश ई-आफिस कम्प्यूटर नं0- 1878928 (नोट संख्या-38) में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 22/2025/281(1)/छप्पन-2025-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-1.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2.
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in